प्रेषक

प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

सेवा में

1. सभी उपायुक्त एवं
सभी जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
हरियाणा।

2. सभी अतिरिक्त उपायुक्त एवं
सभी अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, मनरेगा,
हरियाणा।

यादि क्रमांक–मनरेगा–2018/5634
चण्डीगढ़, दिनांक 14.09.2018

विषयः **मनरेगा स्कीम के तहत रूपये 20.00 लाख की राशि से अधिक खर्च वाले कार्यों की सहमति/स्वीकृति बारे।**

जैसा कि आपको विदित है कि महात्मा गांधी नरेगा का क्रियान्वन राज्य में सुचारू रूप से किया जा रहा है जिसका उद्देश्य ऐसे प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिनके व्यस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते है, को एक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारन्टी युक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध करवाना तथा टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पतियों का सृजन, उन्नत जल सुरक्षा, मृदा संरक्षण और उच्च भूमि उत्पादकता के जरिए निर्धनों के लिए आजीविक सुरक्षा प्रदान करना है।

विभाग द्वारा स्कीम के अन्र्तगत करवाए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई है और यह देखने में आया है कि योजना के अन्र्तगत काफी सराहनीय कार्य जैसे पार्कों का निर्माण, आंगड़वाड़ी सैन्टर इत्यादि करवाए जा रहे हैं। कार्यों की समीक्षा के दौरान यह पाया गया है कि इन कार्यों को कई भागों में विभाजित कर अलग–2 वर्क कोड बनाकर करवाया जाता है। जिसके कारण नरेगा सॉफट पर पूर्ण मिलान नहीं हो पाता तथा यह भी पता नहीं चल पाता कि किसी कार्य पर कुल कितना स्कीम के अन्र्तगत व्यय हुआ है।

अतः निर्णय लिया गया है कि एक कार्य को कई भागों में बांट कर न करवाया जाये तथा रू० 20.00 लाख से अधिक अनुमान/लागत वाले कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति आयुक्त मनरेगा से प्राप्त की जाए।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त हिदायतों की दृढ़ता से पालना की जाए तथा कार्य शुरू करने से पूर्व सूचना पट्ट लगाना भी सुनिश्चित किया जाए।

दविन्द्र सिंह
परियोजना अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक मनरेगा–2018/5635 चण्डीगढ़, दिनांक 14.09.2018

उपरोक्त की एक प्रति निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा, सैक्टर 28, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

दविन्द्र सिंह
परियोजना अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक मनरेगा–2018/5636 चण्डीगढ़, दिनांक 14.09.2018

उपरोक्त की एक प्रति मुख्य अभियन्ता, पंचायती राज, हरियाणा, सैक्टर 28, मध्य मार्ग, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है।

दविन्द्र सिंह
परियोजना अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक मनरेगा–2018/5637 चण्डीगढ़, दिनांक 14.09.2018

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव/आयुक्त, मनरेगा एवं निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।
2. संयुक्त निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।
3. परियोजना अर्थशास्त्री, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।
4. प्रणाली विश्लेषक, ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा।

दविन्द्र सिंह
परियोजना अधिकारी
कृतेः प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
ग्रामीण विकास विभाग, चण्डीगढ़।

\\Mgnrega-pc\MGN\MGNREGA\Fund 2013-14\Draft\Approval of works.docx